भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1973
उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

चंदौली में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना

1973. श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आकांक्षी जिला चंदौली में जिला स्तरीय केंद्र स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए चंदौली में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत किसी उत्पाद की पहचान की है और यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आकांक्षी जिलों के लिए कोई विशेष पैकेज या अतिरिक्त राजसहायता प्रदान की है और यदि हां, तो चंदौली जिले को अब तक कितना लाभ प्राप्त हुआ है;

(घ) एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आकांक्षी जिला चंदौली में कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और उक्त योजनाओं से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा चंदौली जिले में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए औद्योगिक भूमि, ऋण सुविधाएं या बाजार संपर्क जैसी अवसंरचना उपलब्ध कराई जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चंदौली में आकांक्षी जिले में ज़री जरदोज़ी और काले चावल की पहचान ओडीओपी उत्पाद के रूप में की गई है। इस स्कीम के तहत, 156 एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित की गई है।

(ग) :

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम, क्रियान्वित करता है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित देश में स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आकांक्षी जिलों में लाभार्थियों के लिए, एक विशेष श्रेणी लाभार्थी समूह के रूप में, क्रमश: 25% और 15% की नियमित सब्सिडी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

विगत 3 वर्षों के दौरान चंदौली जिले में पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयाँ, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी, अनुमानित रोजगार सृजन की संख्या निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार सृजन
1	2022-23	162	7.86	1296
2	2023-24	90	5.98	720
3	2024-25	50	3.23	400

ii. एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत आकांक्षी जिलों के लिए उच्चतम भारत सरकार अनुदान प्रदान किया गया है। इसमें 5.00 करोड़ रुपए से 10.00 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत के 80% तक और 10.00 करोड़ रुपए से 30.00 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत पर 70% तक भारत सरकार के अनुदान का प्रावधान है।

iii. राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास मिशन (सीएम युवा योजना) के तहत, गैर-आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों के 10%-15% योगदान की तुलना में, आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों से 10% शेयर लिया जाता है।

(घ) : सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जो निम्न प्रकार से है:

i. उद्यम पंजीकरण (यूआर) और उद्यम असिस्ट पोर्टल (यूएपी) पर महिला-स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए विशेष अभियान।

ii. महिला उद्यमियों की सहायता के लिए, सार्वजनिक खरीद नीति सीपीएसई/मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक खरीद का 3% अनिवार्य रूप से महिला-स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से करने का अधिदेश देती है।

iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म और लघु महिला उद्यमियों हेतु निम्नलिखित दो प्रावधान शुरू किए गए हैं, जो दिनांक 01.12.2022 से प्रभावी है:

क. अन्यों के लिए 75% गारंटी कवरेज की तुलना में 90% तक गारंटी कवरेज; और

ख. वार्षिक गारंटी फीस में 10% छूट

iv. कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से, 39% महिलाएँ हैं और उन्हें गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) की तुलना में अधिक सब्सिडी (35%) प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 (दिनांक 08.1.22025 तक) की अवधि के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के तहत चंदौली जिला (उत्तर प्रदेश) में सहायता प्राप्त महिला उद्यमियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार सृजन
1	2022-23	59	2.88	472
2	2023-24	37	2.95	296
3	2024-25	16	0.98	128

v. महिलाओं के बीच उद्यमिता बढ़ाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कॅयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' क्रियान्वित करता है, जो कॅयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास की और लक्ष्यंकित एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

vi. खरीद और विपणन सहायता स्कीम के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की भागीदारी पर, अन्य उद्यमियों के लिए 80% की तुलना में, महिला उद्यमियों को 100% सब्सिडी दी गई है।

vii. एमएसएमई मंत्रालय ने, 18 व्यवसायों में महिलाओं सहित कार्यरत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पियों को लाभ प्रदान करने के लिए, दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम का शुभारंभ किया है।

viii. मंत्रालय ने, एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के साथ मौजूदा और आकांक्षी महिला उद्यमियों के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए, 'यशस्विनी' अभियान की शुरुआत की है, ताकि उन्हें हेंडहोल्डिंग, मेंटरशिप और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहायता प्रदान की जा सके।

ix. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम के तहत, चंदौली जिले से 24 महिला एससी/एसटी लाभार्थियों सहित, उत्तर प्रदेश से 4,917 महिला एससी/एसटी लाभार्थी है।

x. राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं:

1) मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना- 85 लाभार्थी
2) ओडीओपी योजना- 41 लाभार्थी
3) पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना- 211 लाभार्थी
4) ओडीओपी प्रशिक्षण और टूल किट योजना- 1235 लाभार्थी।
5) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास मिशन (सीएम युवा योजना)- 299 लाभार्थी
6) एससी/एसटी नियोजित प्रशिक्षण योजना- 263 लाभार्थी
7) ओबीसी प्रशिक्षण योजना- 86 लाभार्थी

(ड): राज्य सरकार बिल्ड, ओन एंड ओपरेट (बीओओ) मॉडल के आधार पर निजी औद्योगिक विकास योजना का क्रियान्वयन कर रही है।

*****